न्यायालय भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 05 / 2020–21

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
16/12/21	(आदेश नीचे दिया गया है)	

आवेदक अमुस केरकेट्टा, पिता स्व0 जिगा केरकेट्टा जाति मुण्डा ग्राम सुरूहू थाना कामडारा, जिला गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी।

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
सुरूहु	101	106	3838	1.72 एकड़ में से 0.12 एकड़	

कुल 0.12 एकड़ (बारह डिसमील)

प्लॉट सं0 3838 का चौहदी :– उत्तर में – टांड़ लाधु मुण्डा, दक्षिण में – वही प्लॉट, पूरब में – पक्की सड़क रॉची से सिमडेगा, पश्चिम में – निज बिक्रेता।

जमीन विक्रेता का विवरणी

(1) अमुस केरकेट्टा, पिता स्व0 जिगा केरकेट्टा जाति मुण्डा ग्राम सुरूहू थाना कामडारा, जिला–गुमला

जमीन क्रेता का विवरणी

माड़वारी बिरहोर, पिता स्व0 धाधु बिरहोर, जाति विरहोर, ग्राम– रेड़वा थाना – कामडारा जिला गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता माड़वारी बिरहोर, पिता स्व0 धाधु बिरहोर, जाति विरहोर, ग्राम– रेड़वा थाना – कामडारा जिला गुमला से राशि 1,00,000/–(एक लाख)रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की

मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, कामडारा के कार्यालय के पत्रांक 14 दिनांक 05/10/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा एवं विरहोर के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अत: अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक अमुस केरकेट्टा, पिता स्व0 जिगा केरकेट्टा जाति मुण्डा ग्राम सुरूहू, थाना कामडारा जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,00,000/-(एक लाख) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा.................. प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप - समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.18 12:59:18 +05:30
Location: 192.168.1.10